



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सुरक्षित किया जाता है : 22.03.2025

पारित किया जाता है : 21.04.2025

दाण्डिक अपील सं 21/2014

हेमंत सिंह ठाकुर पिता नागेंद्र सिंह ठाकुर, 50 वर्ष, व्यवसाय-पटवारिया (निलंबित), पटवारिया हलका सं.126, भटगांव, तहसील-अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.), ग्राम मोहंदी, पुलिस थाना तथा तहसील-अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी के द्वारा, अरक्षी केंद्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : श्री ए. एस. राजपूत, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु : श्री विवेक मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय



1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 374 (2) के तहत पेश की गई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) सह प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 06/2006 में दिनांक 19.12.2013 को पारित दोषसिद्धि और दंड के निर्णय की वैधानिकता, वैधता तथा शुद्धता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था और निम्नानुसार दंड पारित किया गया था :

दोषसिद्धि	दंड
पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7	1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी)	1 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

2. यह निर्विवाद तथ्य है कि घटना के समय, जो कि माह सितम्बर, 2005 में घटित हुई थी, अपीलार्थी हेमन्त सिंह ठाकुर पटवारी हल्का क्रमांक 126, अभनपुर, थाना एवं तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर में पटवारी के पद पर पदस्थ लोक सेवक थे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि ग्राम भरेंगा में स्थित खसरा क्रमांक 1238 में रकबा 4 एकड़ 58 डिसमिल भूमि परिवादी संतराम (पीडब्लू-1) की नानी के नाम पर पंजीकृत थी। उसकी नानी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि परिवादी की मां खोरबाहरिन बाई के नाम पर स्थानांतरित हो गई थी। खोरबाहरिन बाई की मृत्यु के पश्चात परिवादी संतराम, उसके भाई राम सहाय (पीडब्लू-5) और भाभी बृज बाई पत्नी स्व. बाला राम का गुहा राम सतनामी से भूमि को लेकर विवाद हो गया था। तहसीलदार अभनपुर ने गुहा राम सतनामी के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध परिवादी ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। परिवादी की अपील दिनांक 06/08/2005 को स्वीकार की गई तथा परिवादी संतराम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी एक प्रति उचित माध्यम से पटवारी/अपीलार्थी को भेजी गई। दिनांक 01/09/2005 को परिवादी संतराम ने पटवारी/अपीलार्थी हेमन्त सिंह ठाकुर से सम्पर्क किया तथा उनसे नामान्तरण (राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने हेतु) हेतु अनुरोध किया, जिसके लिए अपीलकर्ता ने उनसे 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। इससे पहले भी, अपीलार्थी ने राजस्व अभिलेख की दूसरी प्रति मांगने पर परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। अतः, परिवादी संतराम उसे दोबारा रिश्वत नहीं देना चाहता था। 13/09/2005 को परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रायपुर के कार्यालय में जाकर लिखित



परिवाद (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की। परिवादी (पीडब्लू-1) को रिश्वत की मांग के संबंध में बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर सौंपा गया। परिवादी ने अपीलार्थी के साथ हुई बातचीत को रिकार्ड कर प्रस्तुत किया, जिसका प्रतिलेखन प्रदर्श पी-4 के रूप में तैयार किया गया। लिखित परिवाद प्रदर्श पी-1 के आधार पर देहाती नालसी प्रदर्श पी-2 दिनांक 14/09/2005 को पंजीकृत किया गया। पुनः दिनांक 14/09/2005 को परिवादी संतराम द्वारा प्रस्तुत एक अन्य परिवाद (प्रदर्श पी-5) पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय रायपुर में पदस्थ निरीक्षक ए.एस. गिल (पीडब्लू-13) के नेतृत्व में एक ट्रैप दल का गठन किया गया, जिसमें निरीक्षक अनिल पाठक (परीक्षा नहीं की गई), निरीक्षक एस.के. सेन (पीडब्लू-12), प्रधान आरक्षक गोविंद राम (परीक्षा नहीं की गई), आरक्षक अलेक्जेंडर एक्का (परीक्षा नहीं की गई) शामिल थे। लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर के सहायक अभियंता एच.पी. वर्मा (पीडब्लू-7) और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता जे.पी. तिग्गा (पीडब्लू-9) को भी स्वतंत्र साक्षियों के रूप में लिया गया। परिवादी संतराम ने 500-500 रुपये के छह नोट प्रस्तुत किए, जिनके नंबर दर्ज किए गए। फिनोलफथलीन पाउडर आदि का घोल तैयार किया गया। परिवादी को निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि स्वीकार करने के बाद वह अपना सिर थपथपाकर संकेत दे। ट्रैप दल परिवादी तथा साक्षियों के साथ तहसील कार्यालय, आभानपुर के लिए रवाना हुई। परिवादी संतराम (पीडब्लू-1) के साथ उसका पुत्र नरेंद्र भट्ट (पीडब्लू-6) छाया साक्षी के रूप में था, जो तहसील कार्यालय गया और वहां अपीलकर्ता को मौजूद देखा। परिवादी तहसील कार्यालय के अंदर गया, जहां अपीलकर्ता ने उससे रिश्वत की मांग की। जब उसने 3,000/- रुपये देने की कोशिश की, जो उसने पहले से ही अपनी शर्ट की बाईं जेब में रखे थे, तो अपीलकर्ता उसके साथ कार्यालय से बाहर आया और होटल की ओर जाने लगा और उससे पैसे मांगने लगा। तब परिवादी संतराम ने 3,000/- रुपए दिए, जिसे अपीलकर्ता ने कागज में लपेटकर अपनी पैंट की बायीं जेब में रख लिया। निर्देशानुसार, परिवादी संतराम ने सिर पर हाथ फेरकर संकेत दिया। तब ट्रैप दल के साथ-साथ साक्षियों ने तिवारी होटल पहुंचकर अपीलकर्ता के दोनों हाथ पकड़ लिए। तलाशी लेने पर अपीलकर्ता की पैंट की बायीं जेब में कागज में लिपटी रिश्वत की रकम मिली। जब पहले दर्ज की गई संख्या को रिश्वत की रकम की गई संख्या से मिलाया गया तो वह सही पाया गया। फिर पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया। कांस्टेबल अलेक्जेंडर एक्का (उनकी मृत्यु के कारण जांच नहीं की गई) ने सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया। परिवादी संतराम को छोड़कर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों की उंगलियों का रंग तब नहीं बदला जब उन्होंने कांस्टेबल अलेक्जेंडर एक्का द्वारा तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में अपने हाथ डुबोए। जब अपीलकर्ता की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, तो वे हल्के गुलाबी हो गए। जब रिश्वत के पैसे और रैपिंग पेपर को डुबोया गया, तो वे गुलाबी हो गए। रिश्वत की रकम और रैपिंग पेपर को डुबोने पर वह गुलाबी हो गया।

अपीलार्थी की बाईं पैंट की जेब भी धोने पर हल्के गुलाबी रंग की हो गई। सभी घोल को सील कर दिया गया, रिश्वत की रकम को कागज में लपेटकर सुखाया गया और पंचनामा तैयार किया गया। भूमि से संबंधित किस्तबंदी खतौनी बी-1 आदि जब्त की गई। संबंधित पटवारी द्वारा मौके का नक्शा तैयार किया



गया।सीलबंद घोल को रासायनिक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति प्राप्त की गई और अभियोग पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया।

4. विचारण के दौरान, अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में 13 साक्षियों का परीक्षण किया गया। अपीलकर्ता/अभियुक्त का कथन दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने और झूठे फंसाने का दावा किया। अपीलार्थी ने बताया कि दिनांक 12/09/2005 के कुछ दिन पूर्व परिवारी संतराम उसके पास आया तथा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के आदेश का उल्लेख करते देते हुए राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया। जिस पर उसने कहा कि विभागीय आदेश आने पर वह नाम दर्ज कराएगा, उसके निर्देश पर नहीं करेगा। जिससे परिवारी संतराम नाराज होकर वहां से चला गया। परिवारी संतराम ने उसे यह कहकर पैसे दिए थे कि अपने भाई को दे देना। इस तरह वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि अपीलकर्ता के भाई मनोज ठाकुर (डीडब्लू-1), पटवारी माखनलाल बंजारे (डीडब्लू-2) और सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक टी.आर. व्यास (डीडब्लू-3) से अपीलकर्ता ने अपने बचाव में परीक्षण किया गया है।

5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवारी संतराम भट्ट का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का कार्य दिनांक 14/09/2005 को परिवार किए जाने तक अपीलकर्ता के पास लंबित था। अपीलकर्ता ने राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करने के लिए वैध पारिश्रमिक के अलावा परिवारी संतराम (पीडब्लू-1) से 3,000/- रुपए की मांग की थी तथा उस कार्य के लिए परिवारी से रिश्वत लेकर उक्त अपराध किया था। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी करार दिया तथा इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित दमड पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा उक्त निर्णय की वैधानिकता, वैधता एवं शुद्धता पर प्रश्न उठाते हुए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवारी संतराम (प्रदर्श पी-1) की लिखित परिवारी के अनुसार उससे रिश्वत की मांग 01/09/2005 को की गई थी, लेकिन परिवारी ने कहा है कि उसने परिवार 13/09/2005 को दर्ज कराई थी, अर्थात् लगभग 12 दिन की विलंब के बाद। इस विलंब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह विलंब परिवारी संतराम की दुर्भावना को दर्शाती है। प्रधान सिपाही घनश्याम मिश्रा (पीडब्लू-3) ने स्वयं उस परिवार पर कोई अपराध दर्ज नहीं किया है। उन्होंने परिवारी संतराम का समर्थन किया है। लिखित परिवार प्रदर्श पी-1 भी घनश्याम मिश्रा के हस्तलेख में है, जो विश्वसनीय साक्षी नहीं है। उनके द्वारा कोई रोजनामचा सनहा दर्ज नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण साक्षी कांस्टेबल आर. एलेग्जेंडर एक्का, जो छाया साक्षी बताया जा रहा है, से पूछताछ करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि कथित परिवारी से पहले, परिवारी संतराम के पक्ष



में राजस्व अभिलेखों में नामांतरण 12/09/2005 को किया गया था। कथित परिवार के समय, अपीलकर्ता के पास नामांतरण का कोई लंबित कार्य नहीं था। 13/09/2005 को रिश्वत की मांग के बारे में परिवार निराधार है। दिनांक 13/09/2005 को रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में की गई परिवार निराधार है। मनोज ठाकुर (पी.डब्लू.-1) के अनुसार परिवारी संतराम उनसे पैसे उधार लेता था और वापस कर देता था। उन्होंने आगे बताया कि कथित ट्रैप घटना से 12-14 दिन पूर्व परिवारी संतराम ने उनसे 4,000 रुपये उधार लिये थे, जो उन्होंने घटना दिनांक को अपीलकर्ता को वापस कर दिये थे। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे बताया कि परिवारी पक्ष के पंच साक्षी जे.पी. तिग्गा (पी.डब्लू.-9) ने कंडिका-14 में, अन्वेषण अधिकारी ए.एस. गिल (पी.डब्लू.-13) ने कंडिका-25 में तथा मनोज ठाकुर (बचाव पक्ष साक्षी -1) तथा सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक टी.आर. व्यास (बचाव पक्ष साक्षी -3) ने बताया है कि कथित ट्रैप कार्यवाही के समय परिवारी संतराम ने अपीलकर्ता को पैसे दिये थे तथा कहा था कि वह पैसे उसके भाई को दे दे। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने राजस्व अभिलेख में नामांतरण के लिए परिवारी से रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत के रूप में 3,000 रुपये स्वीकार किए थे। इसलिए, दोषसिद्धि और दंड का आक्षेपित निर्णय मान्य योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अपीलकर्ता को उक्त अपराध से दोषमुक्त करके अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में केरल राज्य और अन्य बनाम सी.पी. राव, (2011) 6 एससीसी 450 और नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), (2023) 4 एससीसी 731 मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया है तथा उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आक्षेपित निर्णय साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है तथा अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। अपील में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं हैं। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से परिवारी संतराम (पीडब्लू-1), उसके भाई राम सहाय भट्ट (पीडब्लू-5) तथा पुत्र नरेन्द्र भट्ट (पीडब्लू-6) जो छाया साक्षी है, से पूछताछ की गई, जिन्होंने परिवार तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की पुष्टि की। हेड कांस्टेबल घनश्याम मिश्रा (पीडब्लू-3) ने कहा है कि परिवारी संतराम उसके पास परिवार करने आया था, जिसे प्रदर्श पी-1 के तहत दर्ज किया गया। निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह (पीडब्लू-2) ने बताया कि लिखित परिवार के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध देहाती नालिशी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (पीडब्लू-10) पंजीबद्ध की गई थी। पटवारी विश्वनाथ साहू (पीडब्लू-4) ने बताया कि तहसील कार्यालय अभनपुर के घटनास्थल का नक्शा प्र.पी-9 के अनुसार तैयार किया गया। पंच साक्षी एच.पी. वर्मा (पीडब्लू-7) एवं जे.पी. तिग्गा (पीडब्लू-9) ने



ट्रेप कार्यवाही की पुष्टि की। अरुण कुमार मिश्रा (पीडब्लू-8), विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सहायक श्रेणी-2 ने प्र.पी-19 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रमाणित किया। सुनील चन्द्रवंशी (पीडब्लू-10), अनुविभागीय कार्यालय अभनपुर के सहायक श्रेणी-3 ने अपीलार्थी की मूल सेवा पुस्तिका (प्र.पी-21) प्रस्तुत की। पुलिस उपाधीक्षक आर. एस. ध्रुव (पीडब्लू-11) ने कहा है कि नामंजन/उत्परिवर्तन से संबंधित राजस्व अभिलेख की जब्ती प्रदर्शनी पी-22 के माध्यम से की गई थी। निरीक्षक एस. के. सेन (पी.डब्लू-12) ने कहा है कि लिखित परिवाद (प्रदर्श पी-1) के बाद ए. एस. गिल (पी.डब्लू-13) ने परिवादी संतराम को एक नया कैसेट सहित माइक्रो टेप रिकॉर्डर दिया था। सम्पूर्ण अन्वेषण कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निरीक्षक ए. एस. गिल (पी.डब्लू-13) द्वारा की गई है।

10. उपरोक्त साक्षियों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि परिवादी संतराम ने लिखित परिवाद प्रदर्श पी-1 में कहा है कि अपीलकर्ता ने 01/09/2005 को 3,000/- रुपये की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन उसने लिखित परिवाद 13/09/2005 को की। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 दिनों के विलम्ब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह भी स्पष्ट है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करने वाले कांस्टेबल अलेक्जेंडर एक्का की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण न्यायालय के समक्ष उनकी परीक्षा नहीं हो सकी। प्रतिलेख प्रदर्श पी-4 को भी संपादित किया गया है। परिवादी संतराम ने स्वयं अपनी परीक्षा में स्वीकार किया है कि उक्त टेप रिकॉर्डर को कार्यालय में जमा करने से पूर्व वह उसे अभनपुर स्थित दुकान पर ले गया था, जहां उसने उसे बजाया और सुना तथा तत्पश्चात पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक टी.आर. व्यास ने कहा है कि न्यायिक आदेश सीधे बी-1 एवं खसरा में दर्ज किया जाता है, जबकि नामांतरण रजिस्टर सेल डीड एवं विल (वासी यतना मा) में की गई प्रविष्टि के आधार पर किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे वर्ष 2004 से 2010 तक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे तथा अपीलकर्ता की लिखावट को पहचानते हैं। अभिलेख में ग्राम भरेंगा की किस्तबंदी खतौनी बी-1 की छायाप्रति संलग्न है, जो वर्ष 2000-01 की है तथा अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 131/2006 वर्ष 2003-04 में अनुविभागीय अधिकारी रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/08/2005 के अनुसार अभिलेख दुरुस्त किया गया है, जिस पर पटवारी के रूप में अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं।

11. ट्रेप के मामलों में रिकॉर्डिंग के साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता के संबंध में विवाद्यक पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश गुप्ता बनाम राज्य के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1107 के मामले में चर्चा की गई है और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"12. ट्रेप के मामलों में रिकॉर्डिंग के साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता के विवाद्यक पर, राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह, 1985 सप एससीसी 611 के मामले में विधिक सुस्थापित है, जिसमें इस न्यायालय ने माना कि टेप-रिकॉर्डेड बयान साक्ष्य में स्वीकार्य है यदि वक्ता की आवाज रिकॉर्ड के निर्माता और अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी आवाज को पहचानी जाती है। यदि निर्माता आवाज की पहचान करने में असमर्थ है, तो यह निर्धारित करने के



लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होगी कि उक्त आवाज कथित वक्ता की है या नहीं। टेप-रिकॉर्डेड बयान की सटीकता को अभिलेख के निर्माता द्वारा संतोषजनक साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। टेप में दर्ज बयान के किसी भी हिस्से के साथ छेड़छाड़ या मिटाने की संभावना को पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए। विशेष वक्ता की आवाज स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए तथा अन्य ध्वनियों या व्यवधानों के कारण खोई या विकृत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तैयार की गई प्रतिलिपि साक्ष्य में अग्राह्य है।

12. वर्तमान मामले में प्रतिलिपि प्र.पी-4 के साक्षी एच.पी. वर्मा (पी.डब्ल्यू-7) ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि परिवादी (पी.डब्ल्यू-1) द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर को बजाया और सुना गया, लेकिन बातचीत ठीक से अभिलेखित नहीं की गई। इसलिए उसमें दर्ज बातें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थीं, कुछ शब्द स्पष्ट थे जबकि कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिलिपि पी-4 में कुछ नोट्स बनाने के बाद भाग ई से ई को काट दिया गया है, जिससे पता चलता है कि कैसेट में आवाजें स्पष्ट नहीं थीं।

13. परिवादी संतराम (पी.डब्ल्यू-1) ने कहा है कि उसने अपीलकर्ता के साथ अपनी बातचीत को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दिए गए टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड किया था, लेकिन जिरह में उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह अभनपुर स्थित दुकान पर गया था और सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सुना था। इस कारण अपीलकर्ता पक्ष ने उक्त टेप रिकॉर्डर को संदिग्ध बताया है, इसलिए तैयार की गई प्रतिलिपि साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार प्रतिलिपि (प्रस्ताव पी-4) संदिग्ध हो जाती है, जिससे कथित मांग संदेह से परे साबित नहीं होती है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2009) 3 एससीसी 779 (सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय) में पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत दोषसिद्धि के बारे में चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि केवल वसूली से ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार टिप्पणी की:

"18. सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, पैरा 2) केवल दागी धन की वसूली, जिन परिस्थितियों में इसे भुगतान किया गया है, उससे अलग, अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में ठोस सबूत विश्वसनीय नहीं हैं। रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए हैं, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है, किसी भी सबूत के अभाव में केवल वसूली से ही अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं किया जा सकता है।"

15. एन विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 3 एससीसी 687 के मामले में, सी.एम. के फैसले को दोहराते हुए, गिरीश बाबू (सुप्रा) और बी. जयराम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है और इस प्रकार टिप्पणी की:



"26. यह भी समान रूप से स्थापित है कि केवल वसूली से ही अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं किया जा सकता है। सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 और बी. जयराम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत मामले पर विचार करते समय इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में यह दोहराया गया है कि आरोप को साबित करने के लिए, यह उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त स्वेच्छा से पैसा स्वीकार किया, यह जानते हुए भी कि यह रिश्वत है। अवैध रिश्वत की मांग के सबूत का अभाव और केवल करेंसी नोटों का कब्जा या बरामदगी ऐसे अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान भी अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित होने के बाद ही लगाया जा सकता है। यह भी सुस्थापित है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति होने से दोगुनी हो जाती है।

27. बी. जयराम (सुप्रा) के मामले के सुसंगत कंडिका 7, 8 और 9 इस प्रकार हैं:

"7. जहां तक धारा 7 के तहत अपराध का सवाल है, विधि में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य है और केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध नहीं बन सकती है जब तक कि यह सभी उचित संदेह से परे साबित न हो जाए कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है। इस न्यायालय के कई निर्णयों में उपरोक्त स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के तौर पर, सी.एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

8. वर्तमान मामले में, जहां तक आरोपी द्वारा मांग का सवाल है, परिवादी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद किसी अन्य साक्षी की जांच नहीं की, जब परिवादी द्वारा कथित तौर पर अभियुक्त को पैसे सौंपे गए थे, ताकि यह साबित हो सके कि यह पैसे परिवादी द्वारा की गई किसी मांग के अनुसरण में दिए गए थे। जब परिवादी ने स्वयं ही LW9 के समक्ष प्रारंभिक परिवाद (एक्सटेंशन पी-11) में कही गई बातों से इनकार कर दिया था, और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने कोई मांग की थी, तो पीडब्लू1 के साक्ष्य और एक्सटेंशन पी-11 की सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त सामग्री अभियुक्त द्वारा कथित रूप से की गई मांग का सबूत पेश करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी अभियुक्त द्वारा कथित रूप से की गई मांग को साबित करने में सही नहीं थे। केवल उपलब्ध अन्य सामग्री आरोपी के कब्जे से दागी मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में इस तरह के कब्जे को अभियुक्त ने स्वयं स्वीकार किया है। मांग के सबूत के बिना आरोपी से मुद्रा नोटों का केवल कब्जा और बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध को साबित नहीं करेगी। उपरोक्त भी धारा 13(1)(डी) (i) और (ii) के तहत अपराध के



संबंध में निर्णायक होगा क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी भी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में स्थिति का दुरुपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के तहत तैयार की जाने वाली धारणा का संबंध है, ऐसी धारणा केवल धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकती है, न कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराधों के संबंध में। किसी भी स्थिति में, यह केवल अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत धारणा बनाई जा सकती है कि इस तरह की संतुष्टि किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त की गई थी। अवैध परितोषण की स्वीकृति का प्रमाण केवल तभी दिया जा सकता है जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान मामले में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के तहत कानूनी अनुमान लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।"

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि लिखित परिवाद (प्रदर्श पी-1) के अनुसार, अपीलकर्ता ने 01/09/2005 को रिश्वत की मांग की थी, लेकिन परिवादी संतराम ने 13/09/2005 को, अर्थात् 12 दिनों के बाद परिवाद दर्ज कराई, जिसके लिए कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुत साक्ष्य और विशेष न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय के कंडिका 29 से 32 में की गई चर्चा के अनुसार, संबंधित भूमि की किस्तबंदी खतौनी बी-1 को अभियोजन द्वारा अभिलेख से जब्त कर लिया गया था। जिसके अनुसार परिवादी द्वारा शिकायत किये जाने से पूर्व ही परिवादी संतराम (पीडब्लू-1) का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका था, जिसकी पुष्टि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक टी.आर. व्यास ने बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में अपने बयान में की है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश ने यह स्वीकार किया है कि उक्त फोटोकॉपी में की गई प्रविष्टि बचाव पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं की गई है, तथा इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परिवादी का नामांतरण परिवाद दिनांक को अपीलकर्ता के पास लंबित था। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई किसानबंदी खतौनी की फोटोकॉपी अपीलकर्ता के पक्ष में पढ़ी जा सकती है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी का नामान्तरण/मन्त्रण शिकायत एवं ट्रैप की तिथि से पूर्व ही हो चुका था, अर्थात् कथित ट्रैप की तिथि को अपीलकर्ता के पास परिवादी का नामान्तरण का कोई मामला लम्बित नहीं था।

18. इस प्रकार, रिश्वत की मांग के बारे में बताने वाले परिवादी संतराम (पीडब्लू-1) के अलावा, उनके भाई राम सहाय और पुत्र नरेंद्र भी करीबी रिश्तेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं। रिपोर्ट 12 दिन के विलंब से दर्ज की गई थी, जिसके पहले ही परिवादी संतराम का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका था। टेप रिकॉर्डर संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, इसमें कुछ आवाजें स्पष्ट नहीं हैं। उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी द्वारा रिश्वत मांगने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है।



19. जहां तक ट्रैप के तहत अपीलार्थी से 3,000/- रुपये की जब्ती का प्रश्न है, इस मामले में अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत यह कथन किया है कि परिवारी संतराम द्वारा उसे दी गई धनराशि उसके भाई मनोज ठाकुर (डी.डब्लू.-1) द्वारा परिवारी (पी.डब्लू.-1) को दी गई ऋण राशि की वापसी थी। इस तथ्य की पुष्टि अपीलार्थी के भाई मनोज ठाकुर (डी.डब्लू.-1) एवं तत्कालीन राजस्व निरीक्षक टी.आर. व्यास (डी.डब्लू.-3) के कथनों से भी होती है। इसके अतिरिक्त, पंच साक्षी जे.पी. तिग्गा (पी.डब्लू.-9) - कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ने भी अपने साक्ष्य के कंडिका 14 के अंत में कहा है कि मौके पर अपीलार्थी ने बताया कि परिवारी संतराम ने उसे उक्त राशि यह कहकर दी थी कि वह इसे अपने भाई को दे दे। इसी प्रकार, ए.एस. गिल (पी.डब्लू.-13), जांच अधिकारी, जिसने ट्रैप टीम बनाई और जब्ती की, ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 25 में स्वीकार किया है कि जब अपीलकर्ता को मौके पर पकड़ा गया और उसकी जेब से पैसे निकाले गए, तो अपीलकर्ता ने कहा था कि पैसे देते समय, परिवारी संतराम (पी.डब्लू.-1) ने उक्त राशि अपने भाई मनोज ठाकुर (डी.डब्लू.-1) को देने की बात कही थी।

20. इस प्रकार, न केवल बचाव पक्ष के साक्षियों के बयान बल्कि अन्वेषण अधिकारी इंस्पेक्टर ए.एस. गिल (पी.डब्लू.-13) और पंच साक्षी जे.पी. तिग्गा (पी.डब्लू.-9) के बयान भी अपीलकर्ता के बचाव का समर्थन करते हैं कि परिवारी संतराम द्वारा अपीलकर्ता को दी गई राशि रिश्वत नहीं थी बल्कि अपीलकर्ता के भाई मनोज द्वारा परिवारी संतराम को दी गई ऋण राशि की वापसी थी। अभियोजन पक्ष के साक्षी जे.पी. तिग्गा (पी.डब्लू.-9) और इंस्पेक्टर ए.एस. गिल (पी.डब्लू.-13) के कथनों के तहत, यह उचित संदेह से परे साबित नहीं होता है कि परिवारी संतराम ने अपीलकर्ता की मांग पर अपीलकर्ता को 3,000/- रुपये की उक्त राशि रिश्वत के रूप में दी थी और अपीलकर्ता ने इसे रिश्वत के रूप में स्वीकार किया था।

21. उपरोक्त चर्चा के आधार पर और उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में, यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं होता है। अपीलकर्ता हेमंत सिंह ठाकुर की सजा स्पष्ट, पर्याप्त, विश्वसनीय और वैध साक्ष्य पर आधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में, "प्रश्नगत निर्णय" संधारणीय नहीं पाया जाता है और इसे अपास्त किये जाने योग्य है।

22. अतः, अपील को स्वीकृति दी जाती है। "प्रश्नगत निर्णय" को निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्ता हेमंत सिंह ठाकुर को संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता हेमंत सिंह ठाकुर जमानत पर हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437-ए के तहत उनका जमानत बांड 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इस निर्णय की एक प्रति के साथ मूल अभिलेख तत्काल विचारण न्यायालय को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, के लिए वापस भेजा जाए।

सही/-
(संजय कुमार जयस्वाल)



न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।